

कार्यालय कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग,
राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग क्रं.1, पेशानबाड़ा रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष क्रमांक 0771-4051636, फीसा 0771-4061632 ई-मेल-ssnshk_1@rediffmail.com

ज्ञाप क्रमांक 2328/शिल्प/2018
प्रति.

रायपुर दिनांक 27/07/2018

वनमंडलाधिकारी,
बालोद वनमंडल,
जिला-बालोद (छ.ग.)।

विषय :- Diversion of forest land for non forest purpose under forest conservation Act, 1980 under rehabilitation and upgradation to 2-lane/4-lane of NH-930 Jhalmala-Balod-Kusumkasa-Manpur-Kohka in the state of Chhattisgarh.
पंजीयन क्र. FP/CG/ROAD/24943/2017

संदर्भ :- आपका पत्र क्र./तक.अधि./न.क्र.5-2/2018/4006 बालोद दिनांक 03.07.2018
—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से आपके द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग क्र.930 के झलमला-बालोद-कुसुमकसा-मानपुर-कोहका तक दो लेन/फोरलेन मय टेक्ड शोल्डर मार्ग का चौड़ीकरण/उन्नयन कार्ड अंतर्गत वनभूमि के गैरव्यावसायिक प्रयोजन हेतु प्रस्ताव में कमियों का विवरण किया गया है। उक्त सभी कमियों को दूर कर 26.471 हे. वनभूमि के व्यवर्तन हेतु आवश्यक चेक लिस्ट के दिन्दु क्र.1 से 44 तक समाहित करते हुए प्रस्ताव 07 प्रतियों में आपके कार्यालय को प्रेषित किया जा रहा है।

सहपत्र : प्रस्ताव 07 प्रतियों में

कार्यपालन अभियंता
राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग क्र.1
लो.नि.वि. रायपुर (छ.ग.)

रायपुर दिनांक 27/07/2018

पृ.क्र. 2329/शिल्प/2018

प्रतिलिपि :-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, भू-प्रबंध/वनसंरक्षण अधिनियम छ.ग. रायपुर की ओर सादर सूचनाार्थ सम्प्रेषित।
2. कलेक्टर, जिला-बालोद (छ.ग.) की ओर सादर सूचनाार्थ सम्प्रेषित।
3. मुख्य अभियंता, रा.रा. परिक्षेत्र, लो.नि.वि. रायपुर (छ.ग.) की ओर सादर सूचनाार्थ सम्प्रेषित।
4. मुख्य वनसंरक्षक, दुर्ग वृत्त, दुर्ग की ओर सादर सूचनाार्थ सम्प्रेषित।

सहपत्र : शून्य

कार्यपालन अभियंता
राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग क्र.1
लो.नि.वि. रायपुर (छ.ग.)